असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

10 नवम्बर, 2023

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 10 नवम्बर, 2023 ई॰
दशम सत्र — 19 कार्तिक,1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नहीं हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय....

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के भी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-25 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-194, आरा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह जी । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान)

नहीं । आप स्थान ग्रहण कीजिये । अब अल्पसूचित प्रश्न शुरू हो गया। बाद में आपको समय पर बोलवाया जायेगा ।

माननीय सदस्य अमरेन्द्र प्रताप सिंह । प्रश्न पूछ रहे हैं ? प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–26 (श्री प्रेम कुमार, क्षेत्र सं0–230, गया टाउन)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–27 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0–146, बेगूसराय)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

सबों से बैनर ले लिया जाय । बैनर हटवाइये । बैनर हटवाइये । सभी बैनर को ले लीजिये, चाहे इधर का हो या उधर का हो, बैनर ले लीजिये ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–29 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह,क्षेत्र सं0–221,नवीनगर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

सारे कागजात को आप लोग ले लीजिये, चाहे इधर का हो या उधर का हो ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मुख्यतः तकनीकी कारणों से केन्द्रीय सेक्टर से राज्य को ऊर्जा की आपूर्ति में वर्णित तिथि 10.10.2023 के विगत कुछ दिनों में कमी रही है, जिसके कारण दिनांक- 01.10.2023 से 10.10.2023 की अवधि में सामान्यतः अधिकतम मांग के समय, औसतन, 16 ग्रिड उपकेन्द्रों को एवं अधिकतम

54 ग्रिड उपकेन्द्रों (एक बार) को विभिन्न समय में कम अवधि के लिए लोड शेडिंग में रखा गया था ।

2- मुख्यत: तकनीकी कारणों से राज्य में स्थापित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्र नवीनगर, बाढ़, कहलगांव, बरौनी से राज्य को दिनांक- 01.10.2023 से 10.10.2023 के अवधि में बिजली की आपूति में औसतन कमी 1154 मेगावाट एवं अधिकतम कमी 1923 मेगावाट की (एक बार) हुई थी ।

3- केन्द्रीय क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं से करार के अनुरूप बिहार को बिजली प्राप्त होती रही है परंतु तकनीकी कारणों से केंद्रीय सेक्टर से राज्य को ऊर्जा की आपूर्ति में वर्णित तिथि 10.10.2023 के विगत कुछ दिनों में कमी रही है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जब तक आप सीट पर नहीं जाइयेगा, मैं नोटिस नहीं लूँगा । आप सीट पर जाइये । आप स्थान ग्रहण कीजिये, वहाँ जाकर जो कहना है सो कहिये ।

माननीय सदस्य, अगर आपको पूरक पूछना है तो पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रहा है और हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो, यह मामला रिजॉल्व हो और खास करके क्षेत्र की जनता को कठिनाई नहीं हो ।

हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि ये हरदम प्रयासरत रहते हैं कि बिहार के अंदर में बिजली आपूर्ति अच्छी तरह से चलती रहे लेकिन भारत सरकार जिस तरीके से कर रही है, इसपर भी हमलोगों को ख्याल रखना होगा ।

अध्यक्ष : आपको बहुत धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग

(व्यवधान जारी)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-28 (श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0-195,अगिआँव, अ0जा0)</u>

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के 5859, बिहार स्वास्थ्य सेवा के 11722, बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के 586 तथा बिहार आयुष चिकित्सक सेवा के 3588 अर्थात् कुल-21755 स्थायी (नियमित) चिकित्सकों का पद सृजित है । इन सृजित पदों के विरुद्ध बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के अन्तर्गत 2127, बिहार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 7961, बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के अन्तर्गत 523 तथा बिहार आयुष चिकित्सक सेवा के अन्तर्गत 318 अर्थात् कुल-10929 स्थायी (नियमित) चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त 2849 सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सक तथा 67 दन्त चिकित्सक संविदा के आधार पर कार्यरत हैं । इस प्रकार वर्त्तमान में राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कुल-13845 चिकित्सक कार्यरत हैं ।

वर्त्तमान में राज्यान्तर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों (सरकारी+निजी) से प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर में 924 एवं एम0बी0बी0एस0 में 2640 चिकित्सक डिग्री प्राप्त करते हैं । इनके लिए क्रमशः 3960 एवं 2580 फ्लोटिंग पद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु सृजित है एवं प्रत्येक वर्ष इन पदों पर क्रमशः 2/3 वर्षों के लिए अस्थायी नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है ।

उल्लेखनीय है कि राज्यान्तर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । साथ ही, राज्य की आबादी के अनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु पद सृजन भी विचारणीय है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसपर पूरक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष : एक पूछिये ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में अगिऑव, गड़हनी, चरपोखरी, पूरे भोजपुर जिला और बिहार में एक भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, हड्डी के ऑपरेशन और प्लास्टर करने वाले ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर नहीं हैं, दाँत का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं हैं । आरा सदर अस्पताल में आँख का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं हैं, ड्रेसर के पद खाली हैं, कंपाउंडर के पद खाली हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री मनोज मंजिल : पूरक पूछता हूँ, महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं, यह पूरक नहीं है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, बिहार में 21755 पदों में 8 हजार पद खाली हैं और बिहार में 13 करोड़ की आबादी के आधार पर 1 लाख 30 हजार डॉक्टर होने चाहिए जबकि मात्र 13845 डॉक्टर हैं तो सरकार डॉक्टर की बहाली, ड्रेसर, कंपाउंडर, नर्सेज की बहाली कब तक निकालने का विचार रखती है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को यह जरूर जानकारी होगी कि सरकार चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो या किसी भी विभाग का मामला हो, लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि हम बहाल करें और अंत में मैंने माननीय सदस्य को बताया कि आबादी के अनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु पद सृजन विचाराधीन है । मतलब सरकार विचार कर रही है और यह सिर्फ हेल्थ का ही मामला नहीं है, महोदय, बिहार के वैसे विभाग जहाँ पर अधिकारियों की कमी है, सरकार गम्भीर है, हम उसकी बहाली की प्रक्रिया में हैं और माननीय सदस्य का जहाँ तक अपने अस्पताल में जो इन्होंने कहा है, हम तुरंत सदन के बाद उसको देखवा लेंगे और वहाँ अगर होगा तो हम डिपुटेशन भी करा देंगे ।

टर्न-2/आजाद/10.11.2023

(व्यवधान जारी)

श्री मनोज मंजिल : महोदय, बहुत महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है, 20 सालों में ब्लॉक में, सामुदायिक केन्द्रों में एक भी स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, कौन प्रसव करा रहा है ?

अध्यक्ष : प्रश्न पर भाषण नहीं होगा ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, भाषण नहीं दे रहे हैं । स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं ब्लॉक लेवल के अस्पतालों में, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है ....

अध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री मनोज मंजिल : सर, जवाब दिलवा दीजिए । स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं आरा के .....

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, सरकार का पूरा प्रयास है ।

अध्यक्ष : आप जॉच करवा लीजियेगा, इसको देख लीजियेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : देखवा लेंगे सर ।

अध्यक्ष : ये देखवा लेंगे और जहां बोल रहे हैं, वहां अगर आवश्यकता होगी, ये डिपुटेशन करा देंगे ।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-30(श्री राजेश कुमार,क्षेत्र सं0-222,कुटुम्बा(अ0जा0)</u>

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के 3270 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सितम्बर, 2020 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । आयुष चिकित्सकों के द्वारा नियुक्ति से संबंधित कतिपय वाद यथा CWJC No.8800/2020, CWJC No.8690/2020, CWJC No.8997/2020, CWJC No.288/2021 आदि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये जाने के कारण नियुक्ति में विलम्ब हुआ है । बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा काउंसिलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

न्यायालय में मामला चला गया था, अब जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने काउंसिलिंग का कार्य पूरा कर लिया ।

चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा दो पूरक है । आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों का .....

अध्यक्ष : सीधा पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं सीधा पूरक पूछ रहा हूँ । सरकार बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही सकारात्मक जवाब दी है लेकिन मैं दो पूरक के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि बहुत से चिकित्सक ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय तो ऐसे चिकित्सक जो अभी चयन की प्रक्रिया में हैं, वो तो बहुत से नये हैं लेकिन जो पुराने रह गये हैं आयुष चिकित्सक, उसपर सरकार क्या विचार रखती है और दूसरा जो चयन की प्रक्रिया जैसा कि आपने जवाब दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, जो पुराने हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी और चयन कब तक कर लिया जायेगा ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, चूँकि मामला न्यायालय में था, न्यायालय के माध्यम से क्या-क्या गाईडलाईन आयी है, सारी चीजों की समीक्षा करके इनके जो क्वेश्चन है, माननीय सदस्य को मैं बुलवाकर के और सारी चीजों से अवगत करा दूंगा ।

श्री राजेश कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-31(श्री जय प्रकाश यादव,क्षेत्र सं0-46,नरपतगंज)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-32 (श्री मुकेश कुमार रौशन,क्षेत्र सं0-126,महुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री शमीम अहमद, मंत्री : 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वर्ष 2015 में अधिकांश जिलों में लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की गयी थी, पुनः वर्ष 2016, वर्ष 2017, वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 में कुछ जिलों के लिए लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, सहायक

लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक तथा वर्ष 2020 में कुछ जिलों के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की गयी है ।

2- उपरोक्त नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की गयी थी, परन्तु अनुशंसा सूची के अनुपलब्धता की स्थिति में विधि विभागीय पत्रंक-7798/जे0, दिनांक-19.11.2014 के अनुपालन में नई नियुक्ति होने तक पूर्व से नियुक्त अधिवक्ता अपने पदों पर कार्यरत हैं ।

वर्तमान समय में 20 जिलों के जिला पदाधिकारी के द्वारा लोक अभियोजक, अपर लोक अभियेाजक, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु एवं 16 जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा सरकारी वकील एवं सहायक सरकारी वकील की नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराया गया है, जिसके आलोक में तीन जिलों में कुछ अधिनियमों के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष जिलों में उक्त पदों पर नियुक्ति संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

3- वर्तमान समय में 20 जिलों के जिला पदाधिकारी के द्वारा लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु एवं 16 जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा सरकारी वकील एवं सहायक सरकारी वकील की नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराया गया है, जिसके आलोक में तीन जिलों में कुछ अधिनियमों के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष जिलों में उक्त पदों पर नियुक्ति संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए, यह अच्छा लगता है ?

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वैशाली जिला सहित सभी जिलों में लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक, सरकारी वकील एवं सहायक, सरकारी वकील की नियुक्ति सरकार कब तक करना चाहती है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह गलत बात कर रहे हैं । ये महिला हैं, इनको कहिए नीचे जाने के लिए । नहीं, आप गलत कर रहे हैं, इनको नीचे जाने के लिए आप कहिए ।

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

श्री शमीम अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिन्ता जायज है और ये प्रक्रिया जितने भी सरकारी वकील का जो चिन्ता है, दो से तीन महीना के अन्दर में पूरी प्रक्रिया कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक और है कि वैशाली जिला से अनुशंसा प्राप्त हुआ है या नहीं, अगर हो गया है तो कब तक नियुक्ति करेंगे, समय सीमा बतायी जाय, इसको जल्दी करें ।

श्री शमीम अहमद, मंत्री : अनुशंसा आ गई है सर, वैशाली जिला के अलावा 20 जिला का अनुशंसा आ चुका है और यह प्रक्रियाधीन है । तीन महीना के अन्दर सारी प्रक्रिया कर ली जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप आसन पर जाकर के बात को कहें । आप आसन ग्रहण करें । आपलोग जनता के हित के लिए कार्य नहीं करना चाहते हैं । आपलोग सिर्फ सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

टर्न–3/शंभु/10.11.23

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

आपलोग थोड़ा बैठ जाइये, कुछ रिपोर्ट है इसको ले कर लेने दीजिए । आप बैठ जाइये कुछ रिपोर्ट है ले करना है । रिपोर्ट ले कर लेने दीजिए उसके बाद कहियेगा, अभी बैठ जाइये ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, मैं बिहार वन उपज व्यापार विनियम अधिनियम, 1984 की धारा–29(3) के तहत बिहार वन उपज व्यापार विनियम नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार वन उपज व्यापार विनियम अधिनियम, 1984 की धारा–29(3) के तहत बिहार वन उपज व्यापार विनियम नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, मैं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–54 के तहत बनायी गयी वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण नियमावली, 1983 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, मैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा–64 के तहत बनायी गयी बिहार राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सहमति शुल्क नियमावली 1984 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण नियमावली, 1986 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन नियमावली, 214 एवं बिहार पूजा

उपरान्त मूर्ति विसर्जन क्रिया नियमावली, 2020-21 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री शमीम अहमद,मंत्री : महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष-2020-21 का वार्षिक लेखा की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरि नारायण सिंह : मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित समिति का 222वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, शून्यकाल समिति ।

(व्यवधान)

एक मिनट, अभी तो हम पुकार रहे हैं नाम । अभी नहीं हैं ।

प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष-2006-07 से वर्ष-2017-18 तक के वार्षिक लेखा के पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखती हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा इसको हम ले नहीं करावें ? अभी इसको कर लेने दिया जाय । देखिए, माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प भी है, कम से कम गैर सरकारी संकल्प भी होगा ।

(व्यवधान)

वह अलग बात है । प्रभारी मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष-1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री शमीम अहमद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : आज के याचिकाओं के विवरण को प्रतिवेदित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव । सभा सचिव ।

सभा साचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 118 याचिकाएं प्राप्त हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय प्रेम कुमार जी, आप दो मिनट में बात कहिये चूंकि गैर सरकारी संकल्प होना है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल आपके कार्यालय कक्ष में जाकर मिले थे । हमने आग्रह किया था कल जो घटना घटी है पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अपमानित किया गया है, अमर्यादित किया है उसके लिए माफी मांगें । महोदय, मुख्यमंत्री सदन में आएं और माफी नहीं मांगेंगे तो सदन कैसे चलेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं । अब गैर सरकारी संकल्प ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माफी मंगवाइये, मुख्यमंत्री आवें ।

अध्यक्ष : माफी मांगने का सवाल नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : मांझी जी से बोलवाइये और जीतन राम मांझी जी से बोलवाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार ।

डॉ0 संजीव कुमार : क्रिकेट एशोसियेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार है । राकेश तिवारी अध्यक्ष हैं और बाहर के खिलाड़ियों से पैसा लेकर यहां रणजी खेलाया जाता है 40 लाख, 50 लाख और इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि निबंधन विभाग से ये निबंधित है क्रिकेट एशोसियेशन- माननीय मंत्री जी भी हैं अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि विधान सभा की कमिटी गठित की जाय और इसकी जॉच करायी जाय नहीं तो बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है । अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर पूरा सदन हमारे साथ है । एक कमिटी विधान सभा की गठित करायी जाय आपके आदेश से महोदय, नहीं तो बिहार के बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया है राकेश तिवारी । ये दलाल है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, निबंधन विभाग ।

श्री सुनील कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर क्रिकेट के सुधार के लिए माननीय सदस्य का ऐसा सुझाव है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है कि विधान सभा की कमिटी गठित की जाय ।

अध्यक्ष : सरकार की क्या इच्छा है ?

टर्न-4/पुलकित/10.11.2023

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : कमेटी गठित की जा सकती है हमें कोई एतराज नहीं । माननीय, आपके क्षेत्राधिकार में है, आप कर सकते हैं । हमें कोई एतराज नहीं है ।

अध्यक्ष : इस पर नियमानुसार क्या होना चाहिए ? आसन देखकर के कार्रवाई करेगा ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । लेकिन विधान सभा की कमेटी गठित होनी चाहिए । विधान सभा सदस्यों की कमेटी इसकी जांच के लिए होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : मैं इसको अपने स्तर से दिखवाऊंगा । आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–1 : श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0

श्री विजय कुमार मण्डल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

> ''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत दावत प्रखंड के ग्राम अकोढ़ा के सामने ठोरा नदी पर पुल निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्ताव पुल स्थल के एक तरफ पंचायत जमसोना अंतर्गत ग्राम अकोढ़ा को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : गैर सरकारी संकल्प चल रहा है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : डुमरावं–बिक्रमगंज रोड से अकोढ़ा रोड को अकोढ़ा वाया.....

अध्यक्ष : गैर सरकारी संकल्प को होने दीजिए । आपका भी गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : परसिया खुर्द पथ की कुल लंबाई 4.50 किलोमीटर से एकल सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दूसरी तरफ ग्राम डोमडीहा को बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत मरम्मती किये गये बक्सर कैनाल से डोमडीहा पथ जिसकी लंबाई 2.50 किलोमीटर है, से एकल सम्पर्कता प्राप्त है । दोनों पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है । इस तरह दोनों तरफ से बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अभिस्तावित पुल स्थल से अप स्ट्रीम में 03 किलोमीटर एवं डाऊन स्ट्रीम में 06 किलोमीटर पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी योग्य बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त करने का लक्ष्य है । इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से रोड हैं और बीच में नदी है इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि इस पुल की स्वीकृति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने अपना गैर सरकारी संकल्प पर जवाब कह दिया है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार मण्डल : मैं आग्रह के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से अपना प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 2 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी का गैर सरकारी संकल्प है । इन्होंने माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्र जी को प्राधिकृत किया है ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार की हृदय स्थली एवं बिहार के पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर में पटना हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना हेतु पहल करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

श्री शमीम अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों का गठन एवं संगठन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में वर्णित है । वर्णित संघ सूची के क्रम संख्या- 78 में है । जो कि संघीय विषय हैं एवं केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । उच्च न्यायालय पटना के माननीय

मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं एवं संशाधनों की उपलब्धता के आधार पर इसकी स्थापना की सिफारिश करने पर विचार कर सकेगी।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव वापस को लेने की कृपा करें ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर पटना के बिलकुल पूर्वी छोर पर है । हाई कोर्ट में सैकड़ों केसेज रहते हैं जिसके लिए जनता को आना जाना काफी मुश्किल रहती है । बिहार सरकार अगर अपने स्तर से पहले करे या आश्वासन मिले तो मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, स्थिति स्पष्ट नहीं की है ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए । क्या आप अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : निश्चित तौर पर प्रस्ताव वापस लेते हैं लेकिन सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 3 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0</u>

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय में स्थिति 289 एकड़ भूखंड पर बने वृक्ष वाटिका, रानीगंज को पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के तर्ज पर विकसित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय में स्थित वृक्ष वाटिका को विकसित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो गया है । विस्तृत डी0पी0आर0 की मांग की जा रही है तथा इसके बाद अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, 289 एकड़ भूमि पर वृक्ष वाटिका विकसित करने की योजना का प्रस्ताव है । डी0पी0आर0 मांगा गया है, डी0पी0आर0 आ जाता है तब उसके ऊपर जो होगा वह करेंगे । इसलिए माननीय सदस्य से हम आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री अचमित ऋषिदेव : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 4 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सूबे के व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री जी हाऊस में गये हुए हैं, काऊंसिल में गये हुए हैं ।

क्रमांक-5 : श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार द्वारा कराये गये जातिगत गणना के अनुसार बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 63 प्रतिशत है । पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत साथ ही दक्षिण के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की तरह अल्पसंख्यकों के पिछड़ी जाति का कोटा (Reservation within Reservation) पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत के अंदर अलग से निर्धारित करावे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिये गये गैर सरकारी संकल्प संख्या 443/2023 के संदर्भ में ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आज माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प है । आप अपना स्थान ग्रहण करें । आपलोगों का भी गैर सरकारी संकल्प है । आप अपना गैर सरकारी संकल्प पढ़ें और स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि बिहार जातीय आधारित गणना, 2022 के अंतर्गत सम्मिलित किये गये आंकड़ों के आलोक में राज्य के अनारक्षित वर्गों के लिए आरक्षण अनुपात में विविध संबंधी विधेयक बिहार विधान सभा के चालू सत्र में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जा चुका है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ । गैर सरकारी संकल्प हो रहा है, आपका भी है । आप अपने स्थान पर जाए । आपने जो कहना था कह दिया अब वापस जाए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चूंकि आरक्षण के लिए विधेयक पारित हो चुका है । मेरा आग्रह है कि सुरजापूरियों की नौकरी होनी चाहिए थी 39 हजार, जहां 15 हजार है । शेरशाहबादी की नौकरी 5 हजार है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अखतरूल ईमान : सर, मुझे दो बात कहने की इजाजत दीजिए ।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, गैर सरकारी संकल्प में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं नहीं कह सका हूं । कुल्हैया की आबादी 19 हजार में से 6 हजार को, अंसारी के 72 हजार में से 40 हजार को नौकरी मिली है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एम0एल0ए0, एम0पी0 की संख्या भी कम हैं इसलिए सरकार से मांग है कि वह एम0एल0ए0, एम0पी0 की भी सीट एस0सी0, एस0टी0 की तरह रिजर्व करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-5/अभिनीत/10.11.2023

क्रमांक-06 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत बाबूबरही विधान सभा के लदनिया प्रखंड के कुमरख्त पंचायत में मोतनाजे चौक से मोतनाजे महादेव मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप जगह पर जाइये न । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । हम इजाजत दे ही नहीं सकते हैं जबतक ये लोग वहां नहीं जायेंगे । गैर सरकारी संकल्प चल रहा है । यह गैर सरकारी संकल्प चल रहा है । यह गैर सरकारी संकल्प कार्यक्रम का ऑवर है । आप बैठिए और अपना गैर सरकारी संकल्प, आपको पुकारे आप पढ़िए । इसके अलावा किसी दूसरी चीज की इजाजत मैं नहीं दूंगा ।

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान जारी)

आप बैठ जाइये । बैठिए, आपका भी तो गैर सरकारी संकल्प है । क्या फेरा में परे हुए हैं ?

(व्यवधान जारी)

क्या बोलने दें ? क्या बोलिएगा ? बोलना जो है वह तो आप बोल ही रहे हैं रोज-रोज । कम-से-कम अपनी जनता के हित के लिए भी तो कुछ काम कीजिए । खाली राजनीतिक माइलेज पर रहिएगा ।

(व्यवधान जारी)

अरे ! जाइये न भाई । अपना स्थान ग्रहण कीजिए । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । खड़े होकर, नहीं होगा अगर बैठिएगा नहीं तो । आप बैठिएगा नहीं तो नहीं होगा ।

(व्यवधान जारी)

आप दबाव देकर करना चाहते हैं । नहीं होगा ।

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जबर्दस्ती, नियम के विरूद्ध । आप नियम का क्षरण करते हैं । आप विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के मुताबिक अपना आचरण अशोभनीय कर रहे हैं । कभी भी आपको इजाजत नहीं दी जायेगी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 1.1 किलोमीटर है जो पदमा-छपकी आर0सी0डी0 रोड से मोतनाजे स्कूल होते हुए आर0ई0ओ0 रोड के नाम से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम योजनांतर्गत निर्मित है..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह आपको शोभा दे रहा है ? माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर नई अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत पथ पर ट्रैफिक सर्वे के फलाफल के आधार पर चौड़ीकरण का निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रही हैं ?

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, इसको प्राथमिकता पर ले लिया जाय और इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-07 : श्री मिश्री लाल यादव, स0वि0स0

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

क्रमांक-08 : श्री नारायण प्रसाद, स0वि0स0

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

क्रमांक-09 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिलांतर्गत तरियानी प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र अठकौनी को अपग्रेड कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सी0एच0सी0 निर्माण करावे ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

क्या एक मिनट दे दें ? किस चीज के लिए एक मिनट दे दें इनको ? आपलोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय नेता प्रतिपक्ष, यही चाहते हैं आपलोग । आपलोग जाइयेगा कि नहीं अपने आसन पर । जाइये, आसन ग्रहण कीजिए । आप आसन ग्रहण कीजिए, यह विधान सभा है लड़ाई का मैदान नहीं है । विचारों पर

बहस होती है । कम-से-कम सिखिए, जानकारी हासिल कीजिए । अरे ! आप जाइये तो, मैंने भी कहा तब भी नहीं जा रहे हैं आपलोग । जाइये जगह पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

(व्यवधान जारी)

एक मिनट ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपने दो मिनट का आदेश दिया है । महोदय, सदन चले मैं भी चाहता हूं । सदन की गरिमा बरकरार रहे और आप महोदय पूरे सदन के कस्टोडियन हैं...

अध्यक्ष : इसीलिए मैं सबको बुला रहा हूं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सुना जाय । महोदय, सदन के अंदर दो घटनाएं जो घटिए हुई हैं एक महिलाओं का अपमान और एक दलित का अपमान । महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि पूरा सदन शर्मसार, पूरे बिहार की प्रतिष्ठा गिरी है और आज एक पूर्व के मुख्यमंत्रीजी को महोदय अपनी बात से रोका गया । मैं आग्रह करूंगा उनको बोलने दिया जाय । महोदय, पूर्व के मुख्यमंत्री जी, दलित का..

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, बोलने दिया जाय...

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

नेता विरोधी दल, आपने कह दिया । अब आप बैठिए । आपने बोल दिया अब किसी को नहीं । गैर सरकारी संकल्प हो रहा है । माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी को मैंने नहीं कहा है, पुकारा नहीं है वे अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण प्रखंड स्तर पर प्रावधान निहित है न कि पंचायत स्तर पर । अतएव ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय कुमार गुप्ता : महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हर जगह स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम अप-टू-डेट कर रहे हैं और जहां जरूरी है वहां हॉस्पिटल और डॉक्टर की व्यवस्था हो रही है । हमारा जो क्षेत्र है वह 40 हजार की अबादी में है और 40 हजार की आबादी..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गैर सरकारी संकल्प में भाषण नहीं होता है । आप लेट मत कीजिए ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : सर, एक मिनट..

अध्यक्ष : आपने प्रस्ताव, आपने जो गैर सरकारी संकल्प दिया उसका सरकार ने जवाब दिया ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : हम माननीय मंत्रीजी से चाहते हैं नहीं तो कोई सुपरस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री संजय कुमार गुप्ता : जी । माननीय मंत्रीजी के अनुसार मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अवधेश सिंह ।

(व्यवधान जारी)

नहीं-नहीं । ऐसा नहीं करूंगा । हमने नेता प्रतिपक्ष से सुन लिया । इनको जो कहना था इन्होंने कह दिया । जो बात कहना चाहते थे कह दिए । उन्हीं के बारे में इन्होंने कह दिया । अब छोड़िए ।

क्रमांक-10 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

क्रमांक-11 : श्री शम्भू नाथ यादव, स0वि0स0

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका । माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी को प्राधिकृत किया गया है । माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी जी ।

क्रमांक-12 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान जारी)

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : यह ठीक नहीं है । ऐसा आपलोग मत कीजिए । नेता प्रतिपक्ष को आपने कहा मैंने समय दिया । इन्होंने अपनी बातें कह दी । नहीं, जीतन राम बाबू से हम कहेंगे कि आप पुराने सदस्य हैं और आपको इजाजत नहीं दी गयी है इसलिए आप खड़े न हों अपना स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा ।

क्रमांक-13 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान जारी)

हम तो कह ही दिए फिर भी आपलोगों को समझ में नहीं आ रहा है । हम नाराज कहां हो रहे हैं । मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा, उन्होंने दो-तीन मिनट में उन्हीं की बात कह दिये । जो चाहते थे वह तो आप कर लिए । अब क्या चाहते हैं ?

माननीय सदस्या श्रीमती रश्मि वर्मा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

क्रमांक-14 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

टर्न-6/हेमन्त/10.11.2023

क्रमांक-15 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

श्री बागी कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरगंबाद / अरवल जिलान्तर्गत हमीदनगर पुनपुन बैराज से सेनाने नदी होते हुए उतरामा के पास भूतही पईन तक लिंक नहर का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुनपुन बैराज योजना के तहत औरगंबाद जिले के दो प्रखण्ड अन्तर्गत हमीदनगर ग्राम के पास बैराज का निर्माण कर पुनपुन मुख्य नहर के माध्यम से पुनपुन शाखा नहर एवं किंजर वितरणी में जलस्राव उपलब्ध कराते हुए अरवल, जहानाबाद एवं पटना जिले के 13,780 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने का प्रावधान है । योजना के अधीन बैराज का निर्माण पुनपुन शाखा नहर के 6 किलोमीटर एवं किंजर वितरणी के 3 किलोमीटर की लंबाई में नहर निर्माण पूर्ण कर लिया गया है । शेष कार्य भू-अर्जन के कारण बाधित है । प्रश्नगत मामला पुनपुन बैराज से निकलने वाली पुनपुन मुख्य नहर को भूतही पईन से लिंक कराने के क्रम में कहना है कि पुनपुन मुख्य नहर एक वाहक नहर है जिसका तल लेवल भूतही पईन से नीचे है । साथ ही, लिंक करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में भू-अर्जन की आवश्यकता होगी ।

अतः पुनपुन मुख्य नहर को भूतही पईन से लिंक करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री बागी कुमार वर्मा : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–16 : श्री चन्द्रहास चौपाल, स0वि0स0

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर विधान सभा के बेहरी पंचायत के अनुसूचित जाति परिवार के श्री बादल ऋषिदेव पिता–श्री बैजनाथ ऋषिदेव, श्री शिवो राम पिता–श्री रामजी राम सहित चार व्यक्तियों की मृत्यु बिजली के तार गिरने से करंट लगने से वर्ष–2023 ई0 में हो गयी है, आश्रितों को मुआवजा राशि एवं संबंधित परिवार को 7500/– रुपये प्रतिमाह की पेंशन उपलब्ध करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ऊर्जा विभाग को ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : यह ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

क्रमांक–17 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत आलमपुर एवं पंचायत बाजितपुर बम्बईया के बीच नहर पर ग्राम–बेलसंडी डीह के नवटोलिया में पुल का निर्माण करावे ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले उनका हो जाने दीजिए । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थान का दिनांक–06.11.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया । प्रश्नगत नाले का निर्माण जल निकासी हेतु कराया गया है । नाले पर पुल का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है । यदि इस संबंध में संबंधित विभाग से पुल निर्माण हेतु

अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा यह कहना है कि वहां पुल पहले बना हुआ था । कॉन्ट्रैक्टर ने उस पुल को गलती से तोड़ दिया दस साल पहले, उस समय मैं एम0एल0ए0 नहीं था । लेकिन आज वहां पर पुल नहीं है, जिस विभाग का पुल था, तो उसकी जांच करवाकर वह पुल तो बन जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उपाध्यक्ष : वापस ले लिये न ?

श्री अजय कुमार : जी ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–18 : श्री रामविलास कामत, स0वि0स0</u>

श्री रामविलास कामत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अन्तर्गत थरबिट्टा स्टेशन से पीरगंज, ठाढ़ीधत्ता, मौजहा, दुबियाही होते हुए घुरण सीमा तक जाने वाली बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क का ऊंचीकरण एवं चौड़ीकरण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह पथ थरबिट्टा से धिबिया यादव टोला तक पथ के नाम से बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत स्थल के अनुरूप प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरांत एकरारनामा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामविलास कामत : उपाध्यक्ष महोदय, हर साल बाढ़ के समय में यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है कई जगह से । इसलिए हम चाहते हैं कि इसका ऊंचीकरण और चौड़ीकरण हो । बाढ़ के समय में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है यह सड़क ।

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-19 : डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-20 : श्री सुरेन्द्र मेहता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-21 : श्री विजय सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-22 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-23 : श्री मोहम्मद अंजार नईमी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंडाधीन कुम्हार टोली चुनीमारी पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल स्थल कटहलवाड़ी से कुम्हार टोला पथ का एलिजमेंट में अवस्थित है जिसके निर्माण हेतु शीर्ष योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट स्कैनिंग कमेटी, वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समर्पित है । तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा जल्दी कराने की कृपा की जाय । दोनों तरफ रोड बना हुआ है, बीच में पुल नहीं है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-24 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-25 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत अम्बिका भवानी मंदिर आमी तक सुगमता से आने-जाने हेतु मुख्य सड़क से प्रवेशित पूर्व तोरण द्वार से पश्चिम तोरण द्वार तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उक्त अम्बिका भवानी मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अतिक्रमण वाद संख्या-51516 संधारित करते हुए सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सूचना निर्गत की गयी थी, परंतु निर्गत सूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या-10201/16 दायर किया गया । इस बात के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगायी गयी । वर्तमान में उल्लिखित वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । अम्बिका भवानी मंदिर आमी तक सुगमता से आने-जाने हेतु मुख्य सड़क के प्रवेशित पूर्व तोरण द्वार से पश्चिम तोरण द्वार तक की सड़क पर दोनों तरफ रैयती भूमि है ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, वहां माता सती का मायका भी है, उनका उद्‌गम स्थल भी है । इसलिए मैं चाहती है कि इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-7/धिरेन्द्र/10.11.2023

क्रमांक-26 : श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-27 : श्री जयप्रकाश यादव, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-28 : श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-29 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स०

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

> ''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारूण प्रखंड के मेंह और धमनी पंचायतों के किसानों के कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा जो N.T.P.C. के N.P.G.C. इकाई के विसुनपुर कैनाल के अधिग्रहण के कारण पिछले 10 वर्षों से बन्द है, उसे चालू करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विगत दस साल से जहाँ पर N.T.P.C. जमीन अधिग्रहण की है, लाखों किसानों ने वहाँ पर अपनी जमीन दी है और आज तक वहाँ दो पंचायतों का पानी रूका हुआ है विगत दस साल से...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग यह गैर-सरकार संकल्प लघु जल संसाधन विभाग से ट्रांसफर होकर आया है, इसे दिखवा लीजियेगा ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, यह नार्थ कोइल के विसुनपुर कैनाल पर...

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग आपको जानकारी दे देंगे ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, हम चाहेंगे राज्य सरकार के माननीय मंत्री जी से कि इसे तुरंत के तुरंत अपने स्तर से या N.T.P.C. के द्वारा ही उसको कम-से-कम लिफ्ट इरीगेशन लगाकर, उनको पानी देकर पंचायतों का खेती कराने की व्यवस्था कराये ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30 : श्री भीम कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री भीम कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह और हसपुरा बाजार में नगर परिषद् का गठन करावे ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3(1) के द्वितीय परन्तुक में नगरपालिका के गठन के लिए उस क्षेत्र में दीर्घकालिक, अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों, कृषि कर्मियों की कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र के कुल कर्मियों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम होने का प्रावधान है । जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित है कि गोह प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गोह में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल आबादी 13,406 थी जिसमें कुल कर्मियों की संख्या 3,690, कृषि कर्मियों की संख्या 2,384 है । इस प्रकार कृषि कर्मियों की संख्या कुल कर्मियों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण गोह ग्राम पंचायत नगरपालिका गठन की अर्हता पूरा नहीं करता है । इस प्रकार हसपुरा बाजार के संबंध में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हसपुरा बाजार की संख्या 7,940 है जिसमें कुल कर्मियों की संख्या 2,180 है तथा कृषि कर्मियों की संख्या

550 है । बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3 के प्रावधानानुसार नगरपालिका गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या 12 हजार होनी चाहिए जबकि हसपुरा बाजार की जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या से कम है । अतएव, हसपुरा बाजार नगरपालिका गठन की अर्हता पूरा नहीं करता है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री भीम कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसको अपने स्तर से दिखवा लिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ है ।

क्रमांक-31 : श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचौल'', स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-32 : श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०

श्री रामबली सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के घोसी प्रखंड अंतर्गत डमउआ और भारथु गाँव के बीच फल्गु नदी में पुल निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल स्थल के एक तरफ भारथु गाँव है, जिसे बंधुगंज-सुखियावाँ आर०सी०डी० पथ से संपर्कता प्राप्त है । पुल के दूसरे तरफ डमउआ गाँव है जिसे आई०ए०पी० योजना के अंतर्गत निर्मित धामापुर नहर रोड से डमउआ पथ का संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावट को एकल संपर्कता प्राप्त रहने एवं अप-स्ट्रीम 2.70 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 5.10 किलोमीटर पर पुल निर्मित रहने के कारण इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री रामबली सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आम जनता के लिए यह बहुत ही जरूरी माँग है चूंकि भारथु पंचायत लगता ही नहीं है कि वह घोसी प्रखंड का कोई पार्ट है और जिस पुल के विषय में जानकारी दी जा रही है...

उपाध्यक्ष : ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर दिये हैं । अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस उम्मीद के साथ प्रस्ताव ले रहे हैं कि यह जरूरी समस्या का समाधान कराया जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-33 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-34 : श्री मनोज मंजिल, स०वि०स०

श्री मनोज मंजिल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में हुए जातिगत जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के आरक्षण का दायरा बढ़ावे ।''

महोदय, मैं महागठबंधन सरकार को तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया गया है । मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि एस०सी०, एस०टी०, ई०बी०सी०, ओ०बी०सी० को प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंस्टीच्यूशन में 65 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए । मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूँ ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री मनोज मंजिल : जी, महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-35 : श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स०

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खाँ जी के लिए प्राधिकृत हैं माननीय सदस्य श्री मो० कामरान जी ।

श्री मो० कामरान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन का नामाकरण बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर के नाम पर करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह गृह विभाग को स्थानांतरित है लेकिन यह भी देखने की बात है कि भारत सरकार का वह सदन है, भारत सरकार का भवन है वहाँ बनाया गया है, दिल्ली में स्थित है तो उसका नाम रखने के लिए यहाँ से सिफारिश भेजने का भी कोई औचित्य नहीं है । हमलोग केन्द्र सरकार को भी सिफारिश भेजते हैं अगर बिहार से कोई जुड़ी हुई चीज होती है, उसके संबंध में भेजते हैं । इसलिए इसका तकनीकी पक्ष देख लिया जायेगा । अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मो॰ कामरान : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ है ।

क्रमांक-36 : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-37 : श्री अजय यादव, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-38 : श्री छत्रपति यादव, स॰वि॰स॰

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की गाईडलाईन की सूची में ईंट सोलिंग, मिट्टीकरण+ईंटसोलिंग, पंचायत के प्रवेश द्वार का निर्माण तथा कंटीली तार से घेराबंदी को भी सम्मिलित करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की परिचारित मार्गदर्शिका में ईंट सोलिंग, मिट्टीकरण+ईंटसोलिंग, पंचायत के प्रवेश द्वार का

निर्माण तथा कंटीली तार से घेराबंदी की योजना को सम्मिलित करने का प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है परन्तु मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की परिचालित मार्गदर्शिका की कंडिका-6 की उप कंडिका-41 में गली-नाली संपर्क पथ योजना शामिल है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, खगड़िया बाढ़ प्रभावित जिला है, जहाँ अभी मुख्यमंत्री विकास योजना के गाईडलाईन में पी॰सी॰सी॰ से निर्माण होगी । एक साथ पी॰सी॰सी॰ के निर्माण से यह होता है...

उपाध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, वापस लेते हैं लेकिन आग्रह सुन लिया जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-8/संगीता/10.11.2023

<u>क्रमांक-39 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0</u>

श्री मनोज कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला-पूर्वी चम्पारण अंतर्गत प्रखंड-कोटवा में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह आवासीय भवन का निर्माण कार्य करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण अंतर्गत कोटवा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के भवन निर्माण हेतु जिला राजस्व शाखा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के स्वीकृत्यादेश संख्या-183 दिनांक-11.04.2022 द्वारा मौजा-कोटवा, थाना नंबर-21, खाता नंबर-283, खेसरा नंबर-3515 के अंतर्गत 65 डिसमिल तथा खाता नंबर-168, खेसरा नंबर-3516 के अंतर्गत 86 डिसमिल सरकारी भूमि अर्थात कुल-1.54 एकड़ सरकारी भूमि ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है । नवसृजित प्रखंड के कार्यालय-सह-आवासीय भवन निर्माण हेतु कम से कम 2.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है । अतः उक्त निर्णय के आलोक में पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय

आवासीय भवन निर्माण हेतु 1.54 एकड़ प्राप्त होने के आसपास शेष 0.96 डिसमिल सरकारी भूमि चिन्हित कर उसे निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तानांतरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध जिला समाहर्ता, पूर्वी चंपारण से किया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मनोज कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि सब जमीन वहां से होकर आ गया है । एक बार दिखवा के जल्दी से जल्दी बनवा दें, 25-30 वर्ष बने हुए हो गया है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मनोज कुमार यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-40 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-41 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

श्री गोपाल रविदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के फुलवारी शरीफ प्रखंड की तीन लाख आबादी में आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड वाली है, जिसे जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए फुलवारी शरीफ प्रखंड में रेफरल अस्पताल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि फुलवारी शरीफ, पटना शहरी क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचित है । यहां नजदीक में एम्स जैसे उत्कृष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं । साथ ही फुलवारी शरीफ में 30 बेड का नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत एवं संचालित है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल रविदास : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो कानूनी मैनुअल है उसके अनुसार से 01 लाख की आबादी पर रेफरल अस्पताल बनाने का है लेकिन फुलवारी शरीफ का जो प्रखंड है जो ग्रामीण...

उपाध्यक्ष : ठीक है, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री गोपाल रविदास : लगभग 3 लाख की आबादी है तो उसके अनुसार तो 3 बनना चाहिए था, हम तो एक ही मांग कर रहे हैं । आग्रह के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–42 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0</u>

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत पालीगंज में नवनिर्मित रामपुर नगवां जेल का नामकरण जेल से सटे तोरणी गांव के निवासी तथा 1923 के झंडा आंदोलन में नागपुर जेल में शहीद हुए वीर हरदेव नारायण सिंह के नाम पर करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पटना जिलान्तर्गत नवनिर्मित जेल कारा पालीगंज के नामकरण अमर शहीद हरदेव नारायण सिंह के नाम पर किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार के विचाराधीन नहीं है तभी तो हम प्रस्ताव लाए हैं । डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के समय में 1923 में नागपुर में यह झंडा आंदोलन चला और राजेन्द्र बाबू ने अपने जीवनी में बहुत विस्तार से इनके संघर्ष को और इनके बहादुराना देश के लिए शहादत का जिक्र किया है । हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इसपर विचार किया जाय और देश के लिए जिन लोगों ने शहादत किया है उनका सम्मान किया जाय महोदय...

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री संदीप सौरभ : आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो सरकार इसपर विचार करे यह तो हम जान ही रहे थे कि सरकार के संज्ञान में अभी तक नहीं है । इसीलिए हमलोगों ने

मांग रखी है और उसी गांव के रहने वाले थे, वहां पर गांव के लोगों ने उनका नाम जिंदा रखा है...

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए । सरकार के संज्ञान में आ गया है ।

श्री संदीप सौरभ : इसी अपील के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-43 : श्री प्रेम कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-44 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

श्री मोहम्मद कामरान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला के गोविन्दपुर प्रखंड स्थित सकरी नदी पर पुल निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, गोविन्दपुर रोड के बीच सकरी नदी पर पुल निर्माण का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । समीक्षा उपरान्त निधि की उपलब्धता के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मोहम्मद कामरान : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेंगे कि यह बहुत पुराना मुद्दा है महोदय और इसको सबसे अत्यंत जरूरी है इसलिए इसको इसी वित्तीय वर्ष में कराने की कृपा करें । बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-45 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-46 : श्री निरंजन राय, स0वि0स0

श्री निरंजन राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर दरभंगा N.H.-57, पर अक्सर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के जान बचाने हेतु मुजफ्फरपुर दरभंगा जिला के बीचोबीच अवस्थित गायघाट पी0एच0सी0 के बगल में ट्रामा सेन्टर का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गायघाट अवस्थित है । इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में राज्य सरकार के द्वारा एल0–2 लेवल का ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया है । यहां ट्रामा संबंधी मरीजों के इलाज की पर्याप्त सुविधा है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कहां पर किए हैं यह बता दीजिए न । इनकी जो मांग है मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में ।

श्री निरंजन राय : यह तो एस0के0एम0सी0एच0 की बात कर रहे हैं कि वहां मुजफ्फरपुर...

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : फिर से एक बार पढ़ देते हैं महोदय...

श्री निरंजन राय : एस0के0एम0सी0एच0 है...

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय...

श्री निरंजन राय : वही है, एस0के0एम0सी0एच0 मुजफ्फरपुर में है...

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर से लगभग 31 किलोमीटर पर है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री निरंजन राय : इसमें हमारा कहना है उपाध्यक्ष महोदय कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीचोबीच काफी दुर्घटनाएं होती हैं और एकदम N.H.-57, के किनारे सी0एच0सी0 अवस्थित है गायघाट और ये है कि तत्काल घायलों का इलाज हो पाएगा इसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि...

उपाध्यक्ष : ठीक है, सरकार के संज्ञान में आ गया ।

श्री निरंजन राय : उसपर गंभीरता से विचार करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-47 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0

श्री अमर कुमार पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मुजफ्फरपुर के बोचहां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड मुशहरी के शेखपुर माई स्थान से जियालाल चौक अहियापुर चौक, N.H.-57, से राघोपुर, सहवाजपुर होते हुए मिठनपुरा चौक N.H.-77, (ईस्ट वेस्ट कॉरी डोर) तक जाने वाली सड़क का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है वह दो पथों से संबंधित है । शेखपुर माई स्थान से जियालाल चौक पथ-इस पथ की लंबाई 1.30 किलोमीटर है । इस पथ का निर्माण अखाड़ाघाट ढलान से N.H.-77, भाया- जियालाल चौक होते हुए N.H.-77, के नाम से 3054 अंतर्गत कराया गया है जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना एम0एम0जी0एस0यू0वाई0 के तहत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का मरम्मति कार्य कराया जाएगा ।

(क्रमशः)

टर्न-9/सुरज/10.11.2023

(क्रमशः)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : दूसरा जो इनका संबंध है अहियापुर चौक, एन0एच0-57 से राघोपुर, सहवाजपुर होते हुये मिठनपुरा चौक एन0एच0-77 (ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर) इस पथ की लंबाई 3.10 किलोमीटर है । इस पथ का मरम्मति कार्य नई अनुरक्षण नीति, 2018 के के अंतर्गत अहियापुर चौक, भिखनपुरा चौक रोड तक पथ के नाम से कराया गया है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है । पथ में समय-समय पर अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । पथ की स्थिति अच्छी है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अमर कुमार पासवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का विस्तार होते जा रहा है और जो मैंने अपना सवाल रखा है शेखपुर माई स्थान से जियालाल चौक अहियापुर मुझे लगता है कि विगत 6-7 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है जिस पर आप काम करेंगे । क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का विस्तार हो रहा है तो यह एक महत्वपूर्ण सड़क है । मैं आग्रह पूर्वक आपसे कहूंगा कि इसको देखा जाय । मैं इसे वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-48 : श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला के मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत उरॉव और थारू बहुल पंचायतों के गांवों चकरसन, रामपुर में पार्क का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत चकरसन, रामपुर गांव में पार्क निर्माण हेतु वन भूमि उपलब्ध नहीं है । पार्क निर्माण हेतु वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के बाद पार्क निर्माण हेतु विचार किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह गैर सरकारी संकल्प थारू और उरॉव आदिवासी बहुल इलाके के लिये कला संस्कृति भवन के लिये था लेकिन ये पर्यावरण एवं वन विभाग को कैसे ट्रांसफर हो गया ये समझ से परे है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि कला और संस्कृति...

उपाध्यक्ष : आपके गैर सरकारी संकल्प में पार्क निर्माण लिखा हुआ है ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : नहीं महोदय, यह बदल दिया गया है, छूट गया है । जो प्रिंट होकर आया है वह छूट गया है इसलिये हमको ऑरिजनल कॉपी निकालना पड़ा कि हमने जो दिया है इसलिये उसको लेकर आये हैं । उसमें हमने कला संस्कृति भवन का लिखा था कि थारू और उरॉव आदिवासियों के लिये उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिये कला भवन जरूरी है, संस्कृति भवन जरूरी है । इस संदर्भ में मेरा गैर सरकारी संकल्प था ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-49 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम में जिला कोर्ट एवं अनुमंडल कोर्ट जी0टी0 रोड के दोनों तरफ रहने के कारण अधिवक्ता एवं आम जनता को कठिनाईयों से निजात हेतु भूमिगत पार-पथ का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल सासाराम में जिला कोर्ट एवं अनुमंडल कोर्ट के पास जी0टी0 रोड फुट ओवरब्रिज सबवे का निर्माण तकनीकी सम्भाव्यता, तकनीकी संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सासाराम में जिला कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट के बीच में जी0टी0 रोड होने के कारण आये दिन अधिवक्ता का या आम जनता की दुर्घटना में मौत होते रहती है । इसलिये हम आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि दोनों के बीच में भूमिगत पार-पथ बनावे ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-50 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री छोटे लाल राय । प्राधिकृत हैं श्री विनय कुमार ।

श्री विनय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अंतर्गत प्रखंड दरियापुर के ग्राम दुर्बेला से ग्राम बरमुआ माही नदी पर जर्जर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल पूर्व से निर्मित लोहे का पुल है जो क्षतिग्रस्त है । पुल स्थल के एकतरफ अवस्थित बसावट दुर्बेला को नई अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत दुर्बेला से बलूबहिया पथ से एक एक-दूसरे तरफ अवस्थित बसावट ग्राम बरमुआ को जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एन0एच0-19 सेमरपट्टी

से लोहछा भाया गरीबकोठिया सेमरहिया बनवरियापुर, शर्माटोला एवं पुरदिबलपुर पथ का संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर पर एवं डाउनस्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर पुल पूर्व से निर्मित है । अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु संबंधित कार्यपाल अभियंता से टेक्नोफिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की गयी है । तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय कुमार : बिल्कुल मंत्री जी, जब आग्रह किया गया है तो उसको बनाया जाय जर्जर पुल है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–51 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–52 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 60 वर्ष की आयु तक सरकार की सेवा में तत्पर रहकर सरकार के राजस्व में अभूतपूर्व योगदान देने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं हिमाचल प्रदेश की भांति बिहार राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने इस सदन में कई तरह के प्रस्तावों के जरिये इस मुद्दे को उठाया है, प्रश्न भी किया है, ध्यानाकर्षण भी किया है और फिर हमें लगता है कि गैर सरकारी संकल्प में भी यह कम से कम दूसरी–तीसरी बार ये बात आ रही है और मैं मजबूर हूं कि मुझे फिर से वही पुरानी बात कहनी पड़ेगी कि सरकार ने बहुत कुछ सोचकर जो पुरानी पेंशन प्रणाली है और जो नयी पेंशन प्रणाली है दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके जो राज्यहित में है नई पेंशन प्रणाली लागू किया है सरकार ने । इसमें अभी तब्दील करने की कोई योजना नहीं है इसलिये माननीय सदस्य से दो आग्रह है कि एक तो अभी अपना संकल्प वापस ले लें और दूसरा फिर इसको नहीं ले आये किसी दूसरे प्रस्ताव जरिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वापस लेने के बाद तो संभावना बनी ही रहती है कि फिर ले आना है और जहां तक सवाल है कि इंडिया गठबंधन से संबंधित कई राज्यों की सरकारों ने इसे लागू कर दिया है तो हमलोग भी इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं सदन में बैठे हुये लोग...

उपाध्यक्ष : ठीक है । प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : इसलिये इस पर विचार करना चाहिये और माननीय मंत्री जी के आग्रह पर मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता बाजिव है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण सिंह ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने केवल प्रस्ताव, अभिस्ताव वापस लेने के लिये कहा है चिंता करने से मना नहीं किया है ।

<u>क्रमांक-53 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0</u>

श्री अरूण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अंतर्गत बिक्रमगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-18639 आरा-रांची इंटरसीटी एक्सप्रेस अप एवं गाड़ी संख्या-18640 डाउन का ठहराव हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

टर्न-10/राहुल/10.11.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, दिनांक-08.11.2023 को विभाग द्वारा पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीतन राम मांझी को कहा गवर्नर बना दीजिये, अब इतना हंगामा किया कि सदन नहीं चल रहा है अब उससे भी बड़ा ये ट्रेन ठहराने की बात कर रहे हैं । केन्द्र सरकार का मामला है हमको लगता है कि भाजपा वालों से अगर बात करके करा लेते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन हमने विभागीय स्तर पर कर दिया है । अतः आपसे आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, मंत्री जी ने तो बड़ा सवाल उठा दिया मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। हमलोग भाजपा से कभी रिलेशन रखने वाले लोग नहीं हैं, भाजपा से रिलेशन वे लोग रखते हैं लेकिन हम पर वे कटाक्ष कर रहे हैं...

उपाध्यक्ष : कटाक्ष नहीं कर रहे हैं माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेज देना है बिहार सरकार भारत सरकार को प्रस्ताव भेज देगी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैंने यह कहा कि हम लोगों को...

श्री अरूण सिंह : महोदय, हम विधान सभा में विधान सभा के एक मेंबर की हैसियत से जो हमारा अधिकार क्षेत्र है उससे हमने मांग की है । आप सिफारिश कर दीजिये ।

उपाध्यक्ष : ठीक है माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-54 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद के रफीगंज विधान सभा के प्रखण्ड रफीगंज में पंचायत कजपा के ग्राम खराटी से सैफगंज होते हुए नहर तक पथ का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम सैफगंज एवं जमीलगंज को संपर्कता प्रदान करने हेतु अभिस्तावित पथ का सर्वे विभागीय एप द्वारा किया गया है जिसकी सर्वे आई0डी0-18185 है, लंबाई 2 किलोमीटर एवं आबादी 450 है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : इस आशा और उम्मीद के साथ कि जल्दी ही निधि उपलब्ध करायी जायेगी और पथ का निर्माण होगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-55 : श्री प्रमोद कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-56 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया एवं संग्रामपुर प्रखंडो में छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री जी विधान परिषद् में हैं आयेंगे तब जवाब देंगे।

क्रमांक–57 : डॉ॰ रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के गंगा नदी के किनारे वासित लोगों को बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा दिलाने हेतु छपरा से डोरीगंज, दिघवारा प्रखण्ड के मलखाचक, सोनपुर प्रखण्ड के मकरा नयागांव, पहलेजा घाट, गंगाजल बल्ली टोला नजरमीरा, सबलपुर के चारों पंचायत होते हुए गंडक नदी के काली घाट, हरिहरनाथ मंदिर तक रिंग बांधा का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिले के गंगा नदी के बाये किनारे छपरा से डोरीगंज, दिघवारा प्रखण्ड के मलखाचक, सोनपुर प्रखण्ड के मकरा नयागांव, पहलेजा घाट, गंगाजल बल्ली टोला नजरमीरा, सबलपुर के चारों पंचायत होते हुए गंडक नदी के काली घाट, हरिहरनाथ मंदिर तक तटबंध निर्मित नहीं है । उक्त प्रभाग में बाढ़ अवधि के दौरान गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रश्नगत प्रभाग के निचले भागों में बाढ़ का पानी फैल जाता है तथा जलस्तर घटने पर बाढ़ का पानी स्वतः वापस चला जाता है । बाढ़ अवधि में नदी तट का क्षरण होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा जाता है । वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर रिंग बांध निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इसके पूर्व भी मैं यह सवाल लाया था और इन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इसकी तैयारी हो रही है अगले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से सामंजस्य स्थापित करके करा दिया जायेगा और आज कह रहे हैं कोई प्रस्ताव ही नहीं है । मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाय और करा दिया जाय । हमारे क्षेत्र की बड़ी महत्वपूर्ण मांग है ।

उपाध्यक्ष :ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–58 : श्री विनय कुमार चौधरी, स0वि0स0

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के बिरौल प्रखण्ड अंतर्गत कमरकला पंचायत में कमला नदी पर गमहरिया गाँव से हर गाँव के बीच पुल निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत प्रश्नगत स्थल गमहरिया गांव एवं हरसिर गांव के बीच कमला नदी पर पुल निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पुल निर्माण पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, अगर प्रस्ताव रहता तो हमको गैर सरकारी संकल्प लाना पड़ता क्या ? एक तो पथ निर्माण विभाग की यह सड़क नहीं है यह ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है और आप दरभंगा जिले को बखूबी जानते हैं कि कितनी नदी वहां से गुजरती है । इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी हमारी तरफ से कह दीजिय कि प्रस्ताव लाकर के उसको बनवा दीजिये ।

उपाध्यक्ष :ठीक है सरकार के संज्ञान में आ गया है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–59 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–60 : श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महुआ विधानसभा क्षेत्र के महुआ प्रखण्ड अंतर्गत दारा चौक से गोविन्दपुर सिंघाड़ा शक्तिपीठ तक जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण कराकर निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण विभाग के अंतर्गत है। पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक–1548, दिनांक–25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है इसी क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क मजबूत किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना पहले एम0एम0जी0एस0वाई0 थी बाद में यह एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 कर दी गयी है जिसके अंतर्गत उसी सड़क को फिर से रिपेयर करना और चौड़ीकरण करना की यह योजना नई आई है उसके तहत इसकी शुरुआत की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क है इसको पथ निर्माण से अधिग्रहण कराकर इस सड़क का निर्माण जल्द कराया जाय ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61 : श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-62 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत एन.एच.-139 पर स्थित ग्राम करकेटा, नोनिया बिगहा के पास बतरे नदी पर सुगम आवागमन से वंचित अनेकों गांवों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल के एक तरफ नोनिया बिगहा एवं करकेटा बसावट है जिसे एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु एम0एम0जी0एस0वाई0 अवशेष अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है । निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है । निविदा निष्पादन के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । पुल स्थल के दूसरी तरफ कोई बसावट नहीं है । वर्णित पुल स्थल के एक तरफ की बसावट को एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्राप्त रहने एवं अप स्ट्रीम में 4.50 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर पर पुल निर्मित रहने के कारण इस स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ जो पुल है वह एन0एच0 139 पर है और इस तरफ मात्र 500 मीटर से वह वंचित रह रहा है और वह लंबी दूरी का है तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसको एक बार स्थल जांच करा लें चूंकि बार-बार कंफ्यूजन हो रहा है । इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-63 : श्रीमती कविता देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-64 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में संचालित बालू घाटों से निर्गत बालू का चलान की अवधि को 24 घंटा से बढ़ाकर 48 घंटा करावे ।''

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में संचालित बालू घाटों से निर्गत बालू के चालान की अवधि 24 घंटे निर्धारित है । विभाग द्वारा लघु खनिज लदे वाहनों में जी0पी0एस0 लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है । साथ ही, एन0आई0सी0 द्वारा उक्त जी0पी0एस0 लगे वाहनों की निगरानी की जायेगी । अतः बिहार राज्य के किसी भी भाग में लघु खनिज से लदा वाहन 24 घंटे के अंदर पहुंच जा सकता है । अतः चालान की अवधि को 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करने का विभाग का कोई विचार नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, इनका कहना है कि 24 घंटे से 48 घंटे नहीं करना है । कई जगहों पर जाम रहता है, जाम की वजह से वह 48 क्या 72 घंटे में निकलता है इसलिए मैंने आग्रह किया था कि आप इसको कम से कम 48 घंटे करवाइये । ताकि लोगों को बालू ले जाने में चालान तो देता ही है लेकिन जाम में फंसने के कारण वह 24 घंटे में नहीं पहुंच पाता है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है सरकार के संज्ञान में आ गया । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–65 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–66 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा अंतर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के सुखासन पंचायत में सुरसर नदी के कटाव से शिसवा पट्टी वार्ड संख्या–7 तथा महेश बभनगामा में मध्य विद्यालय के समीप वार्ड संख्या–4 के कटाव से बचाव करने के लिए बोल्डर पीचिंग की व्यवस्था करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधान सभा अंतर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के सुखासन पंचायत में सुरसर नदी के कटाव से शिसवा पट्टी वार्ड संख्या–7 तथा महेश बभनगामा में मध्य विद्यालय के समीप वार्ड संख्या–4 के कटाव से बचाव हेतु बाढ़, 2024 पूर्व कटाव निरोधक कार्य के तहत तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा प्राप्त है इस बार हम लोग काम करा देंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–67 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नदीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत रैणखरका पंचायत के इब्राहिमपुर में बागमती नदी पर पुल निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल स्थल इब्राहिमपुर घाट से बखौनी पथ 1.4 किलोमीटर आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ का सर्वे छूटी हुई बसावट अंतर्गत मोबाईल एप से किया गया था । जिसकी सर्वे आई0डी0 30631 है । तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ–सह–पुल निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी पुल है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको करवा देने का कष्ट करें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–68 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

श्रीमती मंजु अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलांतर्गत प्रखण्ड शेरघाटी के ग्राम नवादा से ग्राम बी0टी0 बिगहा तक सड़क निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत पी0–01 से नवादा के नाम से कराया गया था । इस पथ की लंबाई 3.16 किलोमीटर है । वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर से जिसकी मरम्मति हेतु सर्वे बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत पी0सी0आई0 के आधार पर किया गया है । इस पथ की पी0सी0आई0 टॉप वन है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, श्रीरामपुर पंचायत की नवादा से बी0टी0 बिगहा मोरहर नदी तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है । जहां–तहां गढ्ढ़े हो चुके हैं जिससे ग्रामीणों को बड़ा संकट होता है । उक्त सड़क बाके बाजार प्रखंड, इमामगंज प्रखंड एवं डुमरिया प्रखंड के अलावा झारखण्ड की डाल्टेनगंज सड़क को सीधे जोड़ती है...

उपाध्यक्ष : ठीक है वापस लीजिये । वित्तीय उपलब्धता के आधार पर बोले हैं माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : जी, मैं आग्रह करती हूं अतिशीघ्र इस पर ध्यान देने की जरूरत है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-69 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-70 : श्री आलोक रंजन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-71 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-72 : श्रीमती रेणु देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-73 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-74 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड स्थिति पुलिस आउट पोस्ट को पुलिस थाना का दर्जा दिलाकर उसके भवन का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना का पत्र संख्या- 215, दिनांक- 08.08.2023 द्वारा समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड में थाना की स्थापना हेतु पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा से अद्यतन प्रस्ताव की मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात थाना सृजन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी । अभी फिलहाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, इस मोरवा प्रखंड में 18 पंचायते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, यह बहुत पुरानी मांग है, लंबित मांग है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है ।

श्री रणविजय साहू : इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह है कि इस मांग को पूरा किया जाए । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्या डॉ0 निक्की हेमब्रम ।

क्रमांक-75 : डॉ0 निक्की हेमब्रम, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

टर्न-11/मुकुल/10.11.2023

क्रमांक-76 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बाजपट्टी के ग्राम निमाही से बाचोपट्टी होते हुए ग्राम मधुरापुर तक की जर्जर सड़क का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित ग्राम निमाही से बाचोपट्टी होते हुए ग्राम मधुरापुर तक पथ, जिसकी लम्बाई-5.60 कि0मी0 है, जो राज्य योजना (नाबार्ड सम्पोषित) के अधीन निर्मित मधुरापुर बाचोपट्टी गोट निमाही कंचनपुर गंगटी पुपरहर होते हुए नारायणपुर बाजार तक पथ, लम्बाई 13.50 कि0मी0 का पथांश है, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । उक्त मुख्य पथ के 13.50 कि0मी0 में से 7.90 कि0मी0 पथ का निर्माण, पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है ।

अभिस्तावित पथ की मरम्मति हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत निधि की उपब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुकेश कुमार यादव : माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-77 : श्री कृष्णनंदन पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–78 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

श्री विनय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरारू प्रखंड–सह अंचल भवन के भवन निर्माण का कार्य करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड–सह अंचल कार्यालय भवन जर्जर एवं पुराना है । राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार/मरम्मति की आवश्यकता है, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन परिसर विकास के लिए कृत–संकल्पित है । अब तक 82 प्रखंडों में प्रखंड–सह अंचल कार्यालय आवासीय भवन का निर्माण किया गया है । साथ ही, 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का भी निर्माण कराया गया है । शेष जीर्ण–शीर्ण एवं जर्जर प्रखंड–सह अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने की सरकार की योजना है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि वह जर्जर भवन है । महोदय, वहां कोई भवन नहीं है, वह गुरारू के चीनी मिल के दो कमरे में हमारा ब्लॉक चल रहा है, वही तो हमलोग मांग कर रहे हैं कि आज तक एक पंचायत को पंचायत सरकार भवन मिल गया है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सरकार के संज्ञान में यह बात आ गई है ।

श्री विनय कुमार : महोदय, लेकिन वहां पर प्राथमिकता के आधार पर ब्लॉक भवन नहीं है, अंचल भवन नहीं है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भवन में चल रहा है, वह जर्जर है यह मैंने कहा है और हमने इनको कहा है कि इसको हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे इसलिए माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–79 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

श्री ऋषि कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउद नगर में भखडुआ मोड़ पर एच॰एच॰–139 एवं एन॰एच॰–120 में जाम की समस्या के निदान हेतु फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, एन0एच0–120 के अंतर्गत गया से दाउद नगर तक के पथांश में दाउद नगर बाइपास का निर्माण कराया जाना है । बाइपास के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है । भू–अर्जन के उपरांत दाउद नगर बाइपास का निर्माण कराया जायेगा । बाइपास के निर्माण होने के उपरांत दाउद नगर से भखडुआ मोड़ पर जाम की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–80 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक–81: श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजीत कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर, भोजपुर एवं रोहतास जिले के लाखों किसानों को सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए तीन दशक से ज्यादा समय से लंबित बहुप्रतीक्षित मलई बराज परियोजना को पूर्ण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सोन नहर प्रणाली अंतर्गत भोजपुर वितरणी एवं केसठ–3 विरतणी के माध्यम से बक्सर, भोजपुर एवं रोहतास जिले में पटवन किया जाता है । वर्षापात की कमी/टेल एण्ड में अवस्थित रहने के मद्देनजर इन नहरों में ससमय जलश्राव उपलब्ध कराये जाने के लिए मलई बराज योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । बराज से लिंक नहर के माध्यम से जलश्राव को केसठ–3 वितरणी एवं भोजपुर वितरणी में फीड करते हुए 5630 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित कराई जायेगी ।

योजना के अधीन बराज निर्माण में शीर्ष कार्य अंतर्गत अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिया गया है (प्रगति-93 प्रतिशत)। बराज से लिंक नहर का निर्माण भू-अर्जन के कारण बाधित है । भू-अर्जन हेतु कार्रवाई की जा रही है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना काफी दिनों से चल रही है, समय अपना पार कर चुकी है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी सहयोग कर दीजिए, भू-अर्जन की कार्रवाई चल रही है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसे सुन लिया जाय, यह जरूरी है । इतना बड़ा सवाल है । मैं यह कह रहा हूं कि मैंने खुद विधान सभा में इसे दो बार उठाया, माननीय मंत्री जी को पत्र दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है । मैं यह कह रहा हूं आखिर यह क्यों हो रहा है, स्पष्ट है कि वहां के प्रशासनिक उदासीनता इसका कारण है । महोदय, लंबे से समय से लंबित होने से यहां पर सरकार का नाम भी खराब हो रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जितना जल्द हो इसे पूरा कराने की कोशिश करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-82 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-83 : श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-84 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-85: श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

श्री मुहम्मद इजहार असफी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन विधान सभा स्थित लेदर कलस्टर स्थापित हेतु केन्द्र सरकार से अभिस्ताव करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना विभागीय संकल्प संख्या-4773, दिनांक-28.10.2013 के तहत लागू

की गई है । किसी क्षेत्र में पूर्व से किसी विशेष प्रक्षेत्र की सूक्ष्म इकाइयां संचालित हो रही हैं तथा उन्हें उन्नत बनाये जाने हेतु किसी प्रकार के सामान्य सुविधा केन्द्र की आवश्यकता होती है तो उसकी स्थापना उद्योग विभाग द्वारा करायी जाती है । राज्य में मुख्यमंत्री कलस्टर योजनान्तर्गत कुल 09 कलस्टर स्थापित है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-86 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

श्री सुधाकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 101 के तहत ''दिव्यांग आयोग'' का गठन करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजन निदेशालय अंतर्गत निःशक्तता आयुक्त का पद है और उसके माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए कार्य किये जा रहे हैं । विभाग अभी इस पर, दिव्यांग आयोग का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा दिया गया है उस पर विमर्श करेगी । वर्तमान में अभी माननीय सदस्य से हम अनुरोध करेंगे कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सुधाकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद है कि सरकार ने विमर्श का प्रस्ताव रखा है । इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-87 : श्री ललित नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री ललित नारायण मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के शाहकुण्ड प्रखंड के माता वागेश्वरी के वृहत फील्ड में साप्ताहिक मेला के आयोजन को स्वीकृति देकर चालू करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

टर्न-12/यानपति/10.11.2023

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, समाहर्ता भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार वर्णित जमीन माता बागेश्वरी मंदिर पहाड़ से सटा हुआ है वर्णित जमीन मौजा पुरानी खेरही

थाना संख्या-169, खाता संख्या-354, खेसरा-1164 किस्म पहाड़ एवं खेसरा संख्या-1169 बिहार सरकार का है । उक्त वर्णित जमीन पर कोई बाजार, हाट, दुकान अवस्थित नहीं है । अर्थात् बागेश्वरी माता मंदिर के आसपास बाजार मेला के स्वरूप में परिचालित नहीं है । अतः नया साप्ताहिक मेला बाजार आयोजन विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव वापस लें ।

श्री ललित नारायण मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि वह जमीन बेकार पड़ा हुआ है, उसपर खेती भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, न आवास है और बगल में बाजार है इसलिए उस जमीन की उपयोगिता होती यदि सरकार का आदेश मिल जाता । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-88 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स0वि0स0</u>

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार प्राधिकृत हैं ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है, कि वह विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग-19, पूर्व में एन0एच0-2 वाराणसी-औरंगाबाद-कोलकाता राजमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पूर्व से एन0एच0-2 वाराणसी-औरंगाबाद 6 लेन निर्माण कार्य निर्माण एवं संधारण एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जा रहा है । वाराणसी-औरंगाबाद 6 लेन चौड़ीकरण कार्य की प्रगति कार्य में लगे संवेदक के बीच विवाद एवं भूमि अधिग्रहण में बाधा के कारण प्रभावित हुआ है, वर्तमान में कार्य प्रगति पर है एवं 75 परसेंट कार्य पूर्ण हो चुके हैं । भूमि अधिग्रहण में आ रही बाधाओं को प्रशासन से सहयोग लेकर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तथा जून-2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि वहां संवेदक बार-बार चेंज होने का यही कारण है कि जो संवेदक नियुक्त हुआ है उसके पास एक कुदाल तक नहीं है तो पहले तो मैं यह संज्ञान में देना चाहता हूं और दूसरा जो मुआवजा है वह किसान मुआवजा मिला है, सरकार ने मुआवजा बहुत ईमानदारी से दिया है लेकिन आधा-अधूरा दिया है तो मुख्य रूप से यह दो विवाद है, इसको सरकार के संज्ञान में दे रहा हूं । इसकी सूचना ग्रहण कर के इसपर कार्रवाई करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-89 : श्री रामप्रीत पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-90 : श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री राकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है, कि वह नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के जैतीपुर बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलांतर्गत इस्लामपुर प्रखंड के जैतीपुर बाजार से इस्लामपुर थाना की दूरी 10 कि0मी0 है एवं आवागमन हेतु सड़क मार्ग उपलब्ध है तथा वाहन से थाना जाने में 20 मिनट का समय लगता है । इस्लामपुर प्रखंड जैतीपुर बाजार में वर्ष-2021 में हत्या-1, चोरी-1, विविध-10, वर्ष-2022 में चोरी-2, विविध-11 तथा वर्ष-2023 में हत्या-1, चोरी-1, विविध-5 आपराधिक मामले हुए । उपर्युक्त आपराधिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि जैतीपुर बाजार में वर्तमान में विधि-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है एवं अपराध नियंत्रित है । अतः वर्तमान में जैतीपुर बाजार में थाना, ओ0पी0 या पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, यह इलाका उग्रवाद प्रभावित है और इस इलाके में हमेशा विधि-व्यवस्था की समस्या बनी रहती है । पूर्व में भी हमने इस प्रस्ताव को रखा था और माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब भी दिया था हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से जैतीपुर बाजार में पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाय । मैं इसी सुझाव के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-91 : श्री महानंद सिंह, स0वि0स0

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है, कि वह अरवल जिला में महाबलीपुर के सीमा से बैदरावाद तक पटना मुख्य नहर के सटे पश्चिम से अरवल शहर में एन0एच0-139 पर ओवरब्रीज का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन0एच0-139 पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज झारखंड की सीमा पर बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0एच0-139 एम्स भुसौला गोलंबर से नौबतपुर के सोन नहर के पश्चिम तरफ अतिरिक्त दो लेन सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है । एवं उक्त सड़क निर्माण कार्य प्रगति में है । एन0एच0-139 के नौबतपुर से हरिहरगंज तक के सड़क को चार लेन कराने का प्रस्ताव है जिसके तहत अरवल बाईपास निर्माण कार्य प्रगति पर है । अरवल में बाईपास निर्माण हो जाने से भारी वाहनों को बाईपास के माध्यम से गुजरने के कारण अरवल शहरी क्षेत्र में वाहनों के आवागमन का दबाव कम हो जाएगा । चार लेन कार्य का वृहत परियोजना प्रतिवेदन डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई प्रगति में है, तैयार कराये जा रहे डी0पी0आर0 स्वीकृति के प्राप्त होते ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए प्रस्तावित फोरलेन निर्माण कार्य के साथ-साथ अरवल में बाईपास कार्य को प्रारंभ कराया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपने संकल्प को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, यह बहुत ही सकारात्मक कदम है लेकिन बाईपास के मामले में दो तरह की बात चल रही थी एक अरवल शहर के पूरब तरफ से और दूसरा जो है नहर से सटे हुए, पश्चिम तरफ से निर्माण करने की बात है उसमें स्पष्ट नहीं है महोदय । पूरब तरफ से यदि बाईपास की बात होगी तो वह प्रक्रिया निर्माण करने में काफी समय लगेगा लेकिन नहर से सटे हुए यदि वह बाईपास बन जाता है तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी सरकार को भूमि अधिग्रहण करने की भी जरूरत नहीं होगी । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-92 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-93 : श्री देवेशकान्त सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-94 : श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला अंतर्गत कतरी सराय प्रखंड के ग्राम कमल बिगहा में निर्मित स्टेडियम का उपयोग खेल मैदान के अभाव में नहीं हो पा रहा है, खेल मैदान का निर्माण करावे ।''

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष-2015 में नालंदा जिला अंतर्गत कतरी सराय प्रखंड के इलारी कमल बिगहा में विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या-269, दिनांक-20.08.2015 द्वारा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कराया गया था जिसके जीर्णोद्धार हेतु जिला पदाधिकारी नालंदा से प्राक्कलन की मांग विभागीय पत्रांक-1893, दिनांक- 08.11.2023 द्वारा की गई है । प्राक्कलन आते ही इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं जीर्णोद्धार की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेडियम निर्मित हुआ है करोड़ों रुपये की लागत से इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । 2015 में खेल मैदान नहीं बनने से स्टेडियम का कोई औचित्य नहीं है । महोदय, हम खेल मैदान बनाने की मांग कर रहे हैं । स्टेडियम निर्माण कर दिया गया, खेल मैदान बना ही नहीं इसकी क्या उपयोगिता रह गई, यह हम जानना चाहते हैं महोदय, खेल मैदान के बारे में पूछना चाह रहे हैं । वह खेल मैदान के बारे में स्पष्ट करें ।

टर्न-13/अंजली/10.11.2023

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है इसीलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, मैं स्टेडियम की बात नहीं कह रहा हूं, मैं खेल मैदान की बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, जो चीज आप कह रहे हैं उन्होंने...

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, ये जो जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं स्टेडियम निर्माण की...

अध्यक्ष : आपने अपनी बात को कह दिया । माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी । अब ऐसे ही होते रहा है, आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, संकल्प वापस ले रहे हैं लेकिन मैदान का निर्माण हो जाय जनहित में ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार । इन्होंने प्राधिकृत किया है श्री कुमार शैलेन्द्र जी को और माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र जी नहीं हैं ।

<u>क्रमांक-95 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-96 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-97 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री सुर्यकांत पासवान । पढ़िए ।

क्रमांक-98 : श्री सुर्यकांत पासवान, स0वि0स0

श्री सुर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडल अस्पताल बखरी के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया जा सका है । समाहर्ता बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदन है कि मौजा, मखाचक में अनुमंडलीय अस्पताल बखरी के निर्माण हेतु निःशुल्क 2 एकड़ भूमि प्रस्तावित है जिसका बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । भूमि उपलब्ध होने पर शीघ्र ही इस भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, यह बराबर जिला प्रशासन के द्वारा अनदेखी की जाती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि न्यास बोर्ड की जमीन उपलब्ध है, धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वे जाकर के उस जमीन को देखे भी हैं, सारी प्रक्रिया हो चुकी है उसके बावजूद भी दो साल से हमारा अनुमंडल अस्पताल लंबित है । मैं निवेदन करता हूं कि अविलंब उसको बनाया जाय ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा, ये तो चले गये हैं, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं । माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा ।

क्रमांक-99 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-100 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला अंतर्गत मैरवा रेलवे स्टेशन पर लखनऊ-पाटलिपुत्रा, अवध-असम तथा

बरौनी-लखनऊ, गाड़ियों के ठहराव हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्टेशन मैरवा रेलवे स्टेशन पर लखनऊ-पाटलिपुत्रा, अवध-असम एवं बरौनी-लखनऊ ट्रेन के ठहराव हेतु विभागीय पत्रांक-6750, दिनांक-08.11.2023 द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, मंत्री जी का कहना सही है, मैं उससे सहमत होते हुए चूंकि मैरवा रेलवे स्टेशन उत्तरप्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है । कोरोना काल से पहले ये सारी ट्रेनें पाटलिपुत्रा को छोड़कर वहां रुकती थीं और इन ट्रेनों के न ठहराव से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर के लखनऊ-बरौनी को लेकर काफी दिक्कतें हो रही हैं । इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि प्रस्ताव भेजा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । प्रस्ताव भेजना है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, भेज दिया है । बताया अभी कि पत्र भेज दी गई है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-04 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0</u>

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, इन्होंने अपना गैर सरकारी संकल्प पढ़ दिया है परंतु उद्योग मंत्री उस वक्त यहां न रहकर के काउंसिल में थे । माननीय उद्योग मंत्री ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का संकल्प सूबे के व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन करने से संबंधित है । माननीय सदस्य का प्रस्ताव सराहनीय है । राज्य सरकार व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए पूर्व से ही लगातार प्रयासरत है । अभी तत्काल व्यवसायिक आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, बड़े कष्ट में हैं, व्यवसायी, जो लघु व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं और इसी के मद्देनजर मेरा प्रस्ताव था तो आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस दिशा में एक कदम बढ़ाया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है वस्तुस्थिति से आपने अवगत कराया, मंत्री जी ने स्पष्ट आपका जो गैर सरकारी संकल्प था उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है तो सदन की सहमति से आपका प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-56 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग से मेरा जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी । श्रीमती शालिनी मिश्रा जी का गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की नीति वर्तमान में वैसे अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलने की है जहां पूर्व से कोई डिग्री कॉलेज नहीं है । संकल्पित दोनों प्रखंडों में जो चकिया अनुमंडल में पड़ता है पूर्व से शिवदेनी राम, अयोध्या प्रसाद कॉलेज बाराचकिया तथा डिग्री कॉलेज मधुबन अवस्थित है, जहां सह-शिक्षा की व्यवस्था है । छात्राओं को पठन-पाठन की कोई दिक्कत नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे पता ही है कि राज्य सरकार की नीति नहीं है और इसलिए मैंने अति महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से यह मांग की है । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बच्चियों की उच्च शिक्षा के लिए सारी सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है लेकिन हमारे क्षेत्र में केसरिया और संग्रामपुर प्रखंड में बच्चियां हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाती हैं कॉलेज दूर होने की वजह से तो विशेष आग्रह के लिए ही गैर सरकारी संकल्प दिया था । आग्रह करती हूं कि कम से कम एक डिग्री कॉलेज तो लड़कियों के लिए बनवा दें, दोनों में से एक प्रखंड में और इसी आग्रह के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-10 नवंबर 2023 के लिए...

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी हमलोगों का शून्यकाल चला गया था...

अध्यक्ष : आप बैठिये न, माननीय सदस्य, बैठिये न आप । सुनिये तो मैं क्या कह रहा हूं ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 10 नवंबर, 2023 के लिए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ी हुई मानी जाती है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

(पढ़ी हुई मानी गयी शून्यकाल की सूचनाएं)

श्री महा नंद सिंह : महोदय, विद्युत मानवबल को प्रधाान नियोक्ता कम्पनी के अधीन करने, महंगाई के अनुरूप पारिश्रमिक राशि आकस्मिक अवकाश, बोनस, चिकित्सीय व्यय तथा हटाने से पहले कारण बताओ नोटिस देने, हड़ताल के कारण हटाए गए मानवबल को पुर्नबहाल करने एवं 60 साल तक सेवा बहाल की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सिवान जिलान्तर्गत सिवान में कोई बड़ा सरकारी भवन नहीं होने के कारण सरकारी या प्राईवेट बड़ी मीटिंग नहीं हो पाती हैं । मोतीहारी, बेतिया बापू सभागार जैसे सिवान जिला मुख्यालय में मौलाना मजरूलहक सभागार बनाने की आवश्यकता है ।

अत: मैं जिला मुख्यालय में मजरुल हक सभागार बनाने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, बिहार नि:शक्ता पेंशन, इन्दिरा गाँधी नि:शक्ता पेंशन योजना में 400/-00 से बढ़ाकर कर 3,000/-00 प्रतिमाह पेंशन देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, 2011 में लोक शिक्षको के रूप में प्रेरको को बहाल कर आर्थिक सर्वेक्षण, पशु गणना, मद्य निषेध अशिक्षित वयस्क महिला-पुरूषों को शिक्षित करने तथा अन्य कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के काम में लगाया । 2018 में इन्हें हटा दिया गया । इन्हें सरकारी कर्मी के रूप बहाल किया जाय ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील एवं विशेष लोक अभियोजक के पद पर आरक्षण लागू कर विधि पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया आरक्षण सूचि के अंतर्गत एवं चयनित विधि विभाग बिहार के द्वारा संशेधित अधिसूचना संख्या-3909/J दिनांक-26.07.2021 के द्वारा विधि पदाधिकारी किये जाने की मांग करती हूं ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, पथ निर्माण विभाग द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहादुरगंज-टेढ़ागाछ सड़क चौड़ीकरण कराने के निर्णय से जनता में उत्साह है । पतली सड़क के कारण प्रत्येक दिन दुर्घटना से मृत्यु हो रही है ।

मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए यथाशीघ्र टेंडर करवाकर काम चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, प्रदेश के सभी ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं सचिवों को ग्राम-कचहरी संचालन नियमावली, 2007 का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए मान-सम्मान, सुरक्षा एवं सम्मानजनक वेतन भत्ता देने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, शिव नगर मोड़ (फुलवारी शरीफ) से पुनपुन सुरक्षा बांध तक RCD मौजा हरनीचक, खडिहा, कुरकुरी रोड तक अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशनगंज थाना कांड संख्या-334/23 में सुट्टो कुमार को दिनांक 25.10.2023 को जेल भेजा गया, दिनांक-31.10.2023 को जेल में फांसी से उसकी मृत्यु हो गयी, इसकी सूचना जेल अधीक्षक द्वारा उसके परिवार को नहीं दिया गया । इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई एवं परिवार को मुआवजा दिलावें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड मुख्यालय में आई0टी0आई0 के बगल में लालजी उच्च विद्यालय रानीगंज के खाली पड़ी जमीन पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था हेतु डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, राज्य भर के ग्राम कचहरियों में पिछले 16 वर्षों से ग्राम कचहरी सचिव कार्य कर रहें हैं । सरकार के महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन, जनगणना, स्वच्छता इत्यादि में भी इनकी भूमि अति महत्वपूर्ण है । ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी तथा ई0पी0एफ0 देने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, अल्पवृष्टि एवं जल विहीन नदी का इलाका जहानाबाद जिला अक्सर पेयजल संकट का मार झेलते रहता है ।

अतः जहानाबाद को विशेष जिला घोषित करते हुए विधायक के अनुसंशा पर चापाकल उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, सारण जिला के सोनपुर प्रखण्डान्तर्गत कसमर पंचायत के छितरचक, मिर्जापुर, रसूलपुर पंचायत के रमसापुर गरीबपटी तिवारीटोला तथा हासिलपुर पंचायत के बरियाचक, सिंधिानपुर गंगा नदी से चारों ओर घिरा हुआ है।

ग्रामवासियों को गंगा पारकर जाना पड़ता है । अतएव उक्त वर्णित ग्रामों को मिलाकर एक नया पंचायत बनाया जाय ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के ग्राम पंचायत विशनपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिले मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड काराकाट, पंचायत देव, ग्राम-देवमार्कण्डेय में उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, का भवन निर्माण कार्य कराने की सदन के माध्यम से माँग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : महोदय, गया जिला के गुरारू प्रखण्ड अन्तर्गत गुरारू बाजार के सभी मुख्य नाले खर पतवार से जमा रहने के कारण सफाई नहीं होने के चलते जल जमाव की समस्या बाजार में बनी रहती है ।

अतएव बाजार के सभी मुख्य नालों का शीघ्र जीर्णोद्धार कराने की माँग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, BPSC से बहाल महिला और दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों को गृह जिला अथवा नजदीक का जिला आवंटित किया जाए । इसके अलावा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूर्व की भाँति CTET Appearing को अवसर देने तथा कक्षा 6 से 8 के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की माँग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, बाँका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखंड के धोरैया पुनसिया मुख्य सड़क के राजबाँध मोड़ से खैरा गाँव तक लगभग 8 किलोमीटर सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे दर्जनों गाँव का आवागमन पूर्णतः बाधित है ।

अतः जनहित में अविलम्ब सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी में इंडोर स्टेडियम नहीं रहने से स्थानीय युवाओं को टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन आदि खेल के अभ्यास के लिए 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है । युवाओं केक हितों को ध्यान में रखते हुए इंडोर स्टेडियम निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : महोदय, तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र के बरौनी प्रखंड अंतर्गत जीरोमाईल एन. एच.-28 से बीहट हॉल्ट स्टेशन जाने वाली सड़क जर्जर अवस्था में है ।

अतः मैं जनहित में उपरोक्त वर्णित सड़क की मरम्मती कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सामाजिक-आर्थिक सर्वे के अनुसार 41% परिवार छोटे भूखंड पर खपरैल छत या झोपड़ी वाले घर में रहते हैं । जिसका भी कागजात उनके पास नहीं है । उनकी जमीन का पर्चा देने और आवासीय भूखंड देने के लिये सीलिंग सीमा 10 एकड़ करने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर में N.T.P.C. की दो इकाईयॉं कार्यरत हैं, नवीनगर औद्योगिक क्षेत्र में बदल रहा है लेकिन यह क्षेत्र उग्रवाद से भी प्रभावित है । मैं इस क्षेत्र के विकास और सुरक्षा हेतु नवीनगर को अनुमण्डल का दर्जा दिलाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, गृह अगलगी पर आपदा मुआवजा का प्रावधान है परन्तु दुकानों में आग लगने पर मुआवजा का प्रावधान नहीं रहने से गरीब दुकानदार बेरोजगार हो जाते हैं ।

अतः मैं सरकार से छोटे दुकानों में आग लगने पर आपदा मुआवजा पीड़ित को देने का प्रावधान बनाने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, भूमिमापी में प्रयुक्त होने वाला नक्शा डिजिटल मिल रहा है । गुलजारबाग प्रेस, पटना से निर्गत नक्शा तथा डिजिटल नक्शा में काफी अन्तर होने के कारण गांवों में विवाद बढ़ रहा है । गुलजारबाग प्रेस से ही नक्शा छपाई कराकर हर जिले में वितरित कराने की मांग करता हूं ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा के सुभाष चौक रेलवे क्रॉसिंग पर पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अबतक प्रारंभ नहीं होने से जाम की समस्या बनी रहती है । आमजन परेशान है । यथाशीघ्र ओवरब्रिज निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को बिहार के किसी भी जिला अतिथि गृह में प्रवास करने पर किराया दो गुणा भुगतान करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के कौआकोल प्रखंड स्थित कदहर मोड़ में अपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस पिकेट बनाने की मांग करता हूं ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना में जमीन की मिल्कियत संबंधित रिपोर्ट जारी करने, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने, मुकम्मल सर्वे कराकर नया वास-आवास कानून बनाने एवं जो जहाँ बसे हैं उस जमीन का उन्हें मालिकाना हक दिलाने और आवास की राशि 5 लाख रूपये करने की मांग करता हूं ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया शहर सहित पूरे बिहार में सड़क जाम की समस्या से आम जनता परेशान है । शहरों में नगर निगम, नगर परिषद द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है । 20 फीट सड़कों का सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं फ्लाई ओवर निर्माण करने की आवश्यकता है ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया थाना कांड संख्या 144/023 के आरोपी सुदामा यादव उर्फ लंगड़ा की अविलम्ब गिरफ्तारी तथा मृतक युवा व्यवसायी कुमार मनोहर उर्फ मिंची यादव के परिवार को 10 लाख रूपया मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के लिए निर्धारित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है।

(पढ़ी हुई मानी गयी ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ)

श्री भाई वीरेन्द्र एवं श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य के बक्सर, छपरा, वैशाली एवं पटना आदि जिलों के निस्सरित गंगा नदी के भीषण कटाव के कारण नदी किनारे के कई गाँव गंगा नदी में तब्दील हो गये हैं । खासकर पटना जिला के मनेर प्रखंडान्तर्गत हल्दी छ परा, नया टोला, छिहत्तर, सादिकपुर, दरवेशपुर, रतन टोला आदि ग्रामों में नदी के तेज कटाव से नदी में घरों का विलीन हो जाने के कारण हजारों परिवार विस्थापित होकर भुखमरी के शिकार होकर निर्धनता का दंश झेल रहे हैं ।

अत: उक्त वर्णित जिलों में नदी के भीषण कटाव को चिन्हित कराकर कटाव निरोधक कार्य कराते हुए विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

डॉ० संजीव कुमार, श्री ललित नारायण मंडल एवं अन्य ग्यारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ० संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, ''वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के लिए बीसीए को मान्यता मिलने के बाद से बीसीसीआई के सभी घरेलू मैच में बिहार की टीम भाग ले रही है । वर्ष 2018 से ही बीसीसीआई के द्वारा बनाए गए नियमों की आड़ लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सत्तासीन पदाधिकारी के द्वारा बिहार के क्रिकेटरों का हक मारी कर बाहरी खिलाड़ियों को बिहार की टीम से खेलने का काम किया जा रहा है । उदाहरणार्थ हर्श विक्रम सिंह, अधिराज जौहरी, गौरव जोशी, कृष्ण कुमार यादव, वंशज शर्मा, मानिक शर्मा सहित सैकड़ों खिलाड़ी पैसे के बूते टीम में खेल रहे हैं और बिहार के बच्चे अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं । बीसीए से जुड़े कौशल तिवारी के ऑडियो वीडियो की जाँच करवाने की आवश्यकता है । चयन प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए बीसीए ने ही टूर्नामेंट मैच करवाए, लेकिन ज्यों ही बीसीसीआई के मैच शुरू हुए, बिहारी बच्चों का गला घोट कर पैसे के बल पर बाहरी खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली ।

अत: बीसीए से जुड़े कौशल तिवारी के ऑडियो-वीडियो की जाँच एसएसपी, पटना से करवाने एवं चयन प्रक्रिया को पारदर्शी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-70 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

टर्न-14/सत्येन्द्र/10-11-23

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का दशम सत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2023 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 10 नवम्बर, 2023 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-पाँच बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 सदन पटल पर रखा गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 01 (एक) विधेयक एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 02 (दो) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-09 (नौ) जननायकों के निधन के प्रति शोक व्यक्त किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा राज्य के जाति गणना से संबंधित सरकार का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया ।

दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

(1)बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023.

(2)बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023.

(3)बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023.

(4)बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन), 2023.

(5)बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023.

(6)बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023.

सत्र के दौरान कुल-891 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 739 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 739 प्रश्नों में कुल-33 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल-617 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 557 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 89 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल-128 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 116 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 04 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-170 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 168 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल-130 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 118 स्वीकृत एवं 12 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-100 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, एक मिनट आपने पत्रकार को एवं मीडिया बंधुओं को बधाई देने का काम किया बहुत अच्छा । कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष राज्य के दर्जा का जिक्र किया, किसी मीडिया ने इसको छापा नहीं । यह बिहार के लिए बड़ा ही लाभकारी चीजें हैं । यह आगे आने वाले बिहार के विकास के लिए लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मीडिया बन्धुओं कृपा कर के इसको हाई लाईट करें ।

अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में इन्होंने सदन के जो सामने रखने का काम किया कि केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे । अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जी ने बिहार को प्रगति के रास्ते पर

ले जाने का काम कर रहे हैं । माननीय मंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री के सहयोग से अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो बिहार के विकास और होंगे । चाहिए भी विशेष राज्य का दर्जा, इसे भारत सरकार दे, इसमें किसी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कि भारत सरकार का यह जिम्मेवारी और दायित्व बनता है । केन्द्र को बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए जो बार-बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा मांग करने के बाद भी वह पूरा नहीं किया जा रहा है, यह एक दुखद बात है । मैं मीडिया कर्मियों के भाईयों से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो मांग विशेष राज्य के दर्जा के लिए किया है आप उसे निश्चित रूप से छापने और पूरी बातों को जनता के बीच भेजने का काम करें, इसलिए कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तम्भ हैं, सही बात को आपको तस्वीर को ले आना चाहिए ताकि राज्य की जनता जानें कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इनके नेतृत्व के सारे मंत्रिपरिषद् के लोग हैं काफी सिंसियरिटी के साथ इस राज्य के तरक्की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं । इसका संदेश आपके मीडिया बन्धुओं का दायित्व बनता है कि इस बात को निश्चित रूप से छापने का काम करेंगे । मैं आपलोंगों को तो धन्यवाद दे ही दिया लेकिन इस बात को और इधर सदन के माध्यम से आपका घ्यान मैंने आकृष्ट किया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मांग किया चूंकि हमारे पत्रकार बंधु चाहे प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, आप भी इसी राज्य के रहने वाले हैं, आपके भी विकास में सहभागिता होगी कि आप गंभीरता से निष्पक्ष तरीके से बिना भेदभाव के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग किया है उसको आप लिखने का काम करें । आपसे बहुत-बहुत उम्मीद किया जाता है ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वह्न किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, अब बिहार राज्य गीत होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।